मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा, जिसमें गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि वह उनका देश है जिनके निर्माण में उनकी आवाज का महत्व है।

मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा, जिसमें ऊंचे और नीचे वर्गो का भेद नहीं होगा और जिसमें विविध संप्रदायों में पूरा मेलजोल होगा। ऐसे भारत में अस्पृश्यता या शराब और दूसरी नशीली चीजों के अभिशाप के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। उसमें स्त्रियों को वही अधिकार होंगे जो पुरूषों को होंगे। शेष सारी दुनिया के साथ हमारा संबंध शांति का होगा। यह है मेरे सपनों का भारत।

..............एम.के. गांधी

जब भी तुम्हें संदेह हो...... तो यह कसौटी आजमाओ, जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उसे कुछ लाभ पहुंचेगा ? क्या उसे वह अपने ही जीवन व भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा ?..... तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है।

..............एम.के. गांधी

भूमिका

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना (मनरेगा) संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की ऐसी महत्वकांक्षी योजना है जिसने न केवल भारतीय ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए रोज़गार की नई संभावनाओं को जन्म दिया वरन् देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर बहुआयामी निर्णायक प्रभाव छोड़े है। 25 अगस्त 2005 को संवैधानिक रूप से लागू हुई यह योजना सरकार के सामाजिक सरोकारों का सामाजिक, राजनीतिक उच्चारण बनकर संभवतया दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी रोज़गार योजना के रूप में सामने आई। फरवरी 2006 से क्रियान्वित इस योजना ने अब दस वर्ष पूरे कर लिए हैं और दस वर्षों में इस महत्वकांक्षी योजना ने समाज के सर्वाधिक निचले पायदान पर खडी बहुत बड़ी आबादी को सफलतापूर्वक रोज़गार उपलब्ध कराने का महत्ती काम करने का प्रयास किया है।

2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना का शुरूआती प्रारूप देश के कुल 200 जिलों के लिए तैयार किया गया था जिसमें बाद में 130 जिले और शामिल किए गए। परंतु वर्तमान समय में इस योजना के तहत देश के सभी 624 जिले आते है। यदि रोज़गार सृजन करने और उपलब्ध कराने के संदर्भ में संप्रग सरकार की तुलना पिछली राजग सरकार से की जाए तो निश्चित ही इस सरकार की उपलब्धियां कहीं अधिक है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया के अनुसार सत्ता में आने के बादे से वर्तमान सरकार ने तीन गुना रोज़गार मुहैया कराए हैं और इस सफलता का मुख्य श्रेय मनरेगा को ही जाता है। दिसंबर 2010 तक ही इस योजना के तहत ही सरकार देश के चार करोड़ दस लाख परिवारों को रोज़गार मुहैया करा चुकी थी। मनरेगा से रोज़गार पाने वाले इन परिवारों की समाजिक स्थिति और इनके वर्गीय चरित्र का आंकलन किया जाए तो इस योजना की सफलता ओर भी उल्लेखनीय जान पड़ती है। मनरेगा से रोज़गार पाने वाले लोगों में जहां 47 प्रतिशत महिलाएं थी तो वहीं 28 प्रतिशत वह लोग थे जो अनुसूचित जाति से आते हैं और इसमें 24 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जनजाति का था इस दृष्टिकोण से मनरेगा ना केवल अकुशल ग्रामीण मज़दूर को रोज़गार मुहैया कराने

वाली योजना बन सकी वरन् इसने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गो के आर्थिक सशक्तिकरण के द्वारा समाजिक न्याय के महत्वपूर्ण और प्रभावी औजार के रूप में भी काम किया है। जाति संप्रदाय और लैंगिक भेदभाव से अलग इस योजना ने समाज के सबसे अधिक कमजोर तबको के आर्थिक सशक्तिकरण का काम किया। इतना ही नहीं मनरेगा के कारण देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपना वीजन पाने के लिए 10 करोड़ लोगों को बैंक या स्थानीय डाकघर में खाते खोलने पड़े है, जिससे ग्रामीण गरीब मजदूरों में जमा और बचत की भावना का भी प्रसार हुआ है।

हालांकि केंद्र सरकार ने इस योजना की मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया है परंतु अभी कई राज्यों में मिलने वाला मेहनताना न्यून्तम मजदूरी से कम है। योजना के प्रारंभ में योजना का पारिश्रमिक 57 रूपये प्रतिदिन था, जिसे बाद में बढ़ाकर 100 रूपये किया गया वर्तमान समय में यह 125 से लेकर अलग-अलग राज्यों में 180 रूपये तक है। पारिश्रमिक की दर पुरूष और महिलाओं के लिए एक समान हैं, इसमें कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है। इस लैंगिक समानता के अलावा मनरेगा ने महिला सशक्तिकरण की एक नई ग्रामीण पटकथा लिखी है। महिला सशक्तिकरण इस योजना का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। योजना ने 33 प्रतिशत महिलाओं को रोज़गार मुहैया कराने की प्रतिबद्धता तो जाहिर की थी परंतु अधिकतर राज्यों में यह प्रतिशत 33 से कहीं ज्यादा दर्ज किया गया है।

अभी तक अपने रोजमर्रा के खर्च के लिए पुरूषों पर आश्रित ग्रामीण महिला अपने आप को अधिक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र महसूस कर रही है। अभी तक औरत की जिस मेहनत का कोई आर्थिक आंकलन नहीं होता था वह अब परिवार की एक कमाने वाली सदस्य बनकर अपने परिवार और समाज विकास की नई भूमिका में सामने आ रही है। बेशक यह ग्रामीण महिलाओं के जीवन में एक फलदायी बदलाव है और यह नए समाज के निर्माण में महिलाओं की नई, सक्रिय एवं निर्णायक भूमिका की जमीन तैयार करेगा जो केवल मनरेगा से ही संभव हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त जलाशयों के पुनर्निर्माण और जल संरक्षण का बड़ा काम भी मनरेगा के कारण संभव हो रहा है। 2010-11 के वित्त वर्ष में मनरेगा के लिए आवंटित धन के 40 प्रतिशत हिस्से का उपयोग जलाशयों के पुनर्निर्माण, संरक्षण और ग्रामीण सिंचाई योजनाओं पर खर्च करने का निमर्णय सरकार द्वारा किया गया। बड़ी संख्या में मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सूख गए जलाशयों, पोखरों, बावडियों और तालाबों को पुनर्जीवित

और संरक्षित करने का प्रभावी काम हो पाया है। तमाम तरह की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपो और आलोचनाओं के बीच भी मनरेगा ने भारतीय जनजीवन पर कई रूपों में परिवर्तनकारी अमिट छाप छोडी है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कानून ही हैं, जिसके क्रियान्वयन के बाद से कृषि क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी दोगुनी हुई है। दरअसल कम कृषि मजदूरी ही ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का मुख्य कारण रहा है, अब के कमजोर गरीब तबको के सशक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। मनरेगा के लागू होने, रोज़गार की संभावनाएं बनने और कृषि मजदूरी में बढ़ोतरी के कारण गांवों से मजदूरों के विस्थापन और पलायन में भी कमी आई है। इसके अलावा इस कानून की एक बड़ी उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संसाधनों का निर्माण भी हैं, जिसमें ग्रामीण इलाकों में सड़कों, परंपरागत जलाशयों का संरक्षण और नए स्रोतो का निर्माण भी है। मनरेगा की यह ऐसी उपलब्धियां है, जो ग्रामीण समाज पर व्यापक एवं दूरगामी प्रभाव छोड़ रही है और जिसके नतीजे आने वाले समय में दिखाई देगें।

सकरात्मक प्रभावों के बाद भी इस प्रभावी कानून को कई नकारात्मक आलोचनाओं का सामाना करना पडा है जिसे वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने भी पिछल दिनों एक पत्रिका को दिए गए अपने साक्षात्कार में स्वीकार किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि देश के 600 से भी अधिक जिलों में फैली इस योजना का दायरा इतना व्यापक और विविधतापूर्ण है कि इसमें छिद्र बचे ही रहते हैं क्योंकि इसे लागू करने की कोई एकरूप व्यवस्था नहीं है। योजना बेशक केद्र सरकार द्वारा निर्मित और क्रियान्वित की जाती हो परंतु इसे जमीनी स्तर पर लागू करने और इसके लिए मांग निर्माण आदि में ग्राम पंचायत की ही प्रमुख भूमिका है।

महात्मा गाधी ने कहा था कि संदेह के क्षणों में हमें सबसे गरीब आदमी के चेहरे का ध्यान करना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमारा यह कदम उसके लिए किसी काम का हो सकता है? फरवरी 2006 में शुरू की गई महात्मा गाधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के पीछे यही भावना काम कर रही थी। यह संभवत: विश्व में सबसे बड़ी और सर्वाधिक महत्वाकांक्षी सार्वजनिक परियोजना है। लागू होने के छह साल बाद मनरेगा का महत्व तथा ग्रामीण भारत के करोड़ों घरों के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा आज स्वयंसिद्ध है। इस योजना में अब तक 1200 करोड़ रोज़गार-दिनों का कार्य हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को 1,10,000 करोड़ रुपये मजदूरी के तौर

पर दिए जा चुके हैं। इसकी जबरदस्त लोकप्रियता इस बात से जाहिर है कि हर साल औसतन एक-चौथाई परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया है। करीब 80 फीसदी परिवारों को धनराशि सीधे बैंक या डाकखाना खाते के माध्यम से दी गई। गरीबों के वित्तीय समावेश की दिशा में यह अभूतपूर्व कदम है।

मनरेगा हाशिये पर धकेल दिए गए समाज के सशक्तीकरण का ठोस प्रयास है। मनरेगा में अब तक जितना काम दिया गया है उसका 51 फीसदी अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लोगों के हिस्से में गया है, जबकि महिलाओं की कुल काम में 47 फीसदी हिस्सेदारी रही। वास्तव में, मनरेगा ने महिलाओं को काम का शानदार अवसर मुहैया कराया है और वे इसका लाभ भी उठा रही हैं। इससे पहले महिलाएं या तो बेरोज़गार रहती थीं या फिर उन्हें बहुत कम वेतन पर काम दिया जाता था। स्वतंत्र अध्ययनों से पता चलता है कि मनरेगा से न केवल ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी में वृद्धि हुई है, बल्कि मजदूरी की परंपरागत लैंगिक असमानता भी कम हुई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (नरेगा) 2005 सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो गरीबों की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है और जो व्यापक विकास को प्रोत्साहन देता है। यह अधिनियम विश्व में अपनी तरह का पहला अधिनियम है जिसके तहत अभूतपूर्व तौर पर रोज़गार की गारंटी दी जाती है। इसका मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढाना। इसके तहत हर घर के एक वयस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोज़गार दिए जाने की गारंटी है। यह रोज़गार शारीरिक श्रम के संदर्भ में है और उस वयस्क व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो इसके लिए राजी हो। इस अधिनियम का दूसरा लक्ष्य यह है कि इसके तहत टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाए और ग्रामीण निर्धनों की आजीविका के आधार को मजबूत बनाया जाए। इस अधिनियम का मकसद सूखे, जंगलों के कटान, मृदा क्षरण जैसे कारणों से पैदा होने वाली निर्धनता की समस्या से भी निपटना है ताकि रोज़गार के अवसर लगातार पैदा होते रहें।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (नरेगा) को तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना एक महत्त्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा गया है। इसका आधार अधिकार और माँग को बनाया गया है जिसके

कारण यह पूर्व के इसी तरह के कार्यक्रमों से भिन्न हो गया है। अधिनियम के बेजोड़ पहलुओं में समयबध्द रोज़गार गारंटी और 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान आदि शामिल हैं। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे रोज़गार प्रदान करने में कोताही न बरतें क्योंकि रोज़गार प्रदान करने के खर्च का 90 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र वहन करता है। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि रोज़गार शारीरिक श्रम आधारित हो जिसमें ठेकेदारों और मशीनों का कोई दखल न हो। अधिनियम में महिलाओं की 33 प्रतिशत श्रम भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है।

प्रथम अध्याय में मनरेगा योजना की समुचित जानकारी प्रस्तुत की गई है, मनरेगा योजना शुरू करने के क्या उद्देश्य थे, और इस योजना की विशेषताएं, योजना का लक्ष्य, और अमूलचूक बदलाव और रोज़गार गारंटी योजना कैसे तैयार की जाती है इन विषयों पर विस्तृत रूप से कार्य करने का प्रयास किया गया है।

द्वितीय अध्याय में मुख्य हितधारक (भूमिकाएँ एवं ज़िम्मेदारी) के सभी चरणों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है जिसमें ग्राम स्तर की क्या भूमिका है और किस तरह ग्राम स्तर पर कार्य किए जाते है, ग्राम स्तर के कार्यों में मजदूरी मांगने वालों के अधिकार, ग्राम सभा, वार्ड सभा, ग्राम पंचायत, सभी की अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी होती है जिसका सभी स्तरों पर निर्वाह कैसे किया जाता है इन विषयों पर कार्य करने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर भी कार्यक्रम अधिकारी के क्या कार्य हैं, और मध्य स्तरीय पंचायत की क्या भूमिका होती है, इन सभी स्तरों पर कार्य किस तरह किया जाता है यह जानने का प्रयास किया गया है। जिला स्तर और राज्य स्तर तथा केंद्र स्तर पर भी जो कार्य किए जाते हैं उन सभी का विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की भूमिका योजना को किस प्रकार हितकारी बनाती है।

तृतीय अध्याय में रायबरेली जिले का परिचय और जिले में मनरेगा योजना की स्थिति का विस्तार से चर्चा करने के साथ-साथ मनरेगा योजना के कारण असंतुलित होती जिले की अर्थव्यवस्था, और मनरेगा योजना के माध्यम से अब तक हुए कार्यों का विवरण दिया गया है। रायबरेली जिले की छोटी-बड़ी सभी चीजों का पूर्ण अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। और यह योजना जिले के विकास में

किस तरह योगदान दे रही है, लोंगों में इस योजना के प्रति कैसा रवैया है इन बिन्दुओं पर भी प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। अब तक मनरेगा योजना के प्रति कितनी शिकायतें हुई हैं, और प्रति वर्ष कितने कार्यों को शुरू किया गया और कितने कार्य समाप्त हुए, प्रति वर्ष जिले के कितने लोंगों को रोज़गार प्राप्त हुआ है इन विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है।

चतुर्थ अध्याय में सामाजिक संबंध एवं श्रम का बदलता स्वरूप के अंतर्गत श्रम का अर्थ और श्रम की परिभाषाएँ, श्रम बजट क्या होता है, श्रम बजट अनुमोदन प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार कार्य किया जाता है। श्रम कानून के बारे में भी चर्चा की गई है साथ ही बंधुआ मजदूरी पर भी विशेष ध्यान देने का प्रयास किया गया है। मनरेगा योजना ने श्रम को किस तरह प्रभावित किया है लोगों के पलायन में किस तरह मनरेगा योजना का अहम किरदार रहा है। यह भी जानने समझने का प्रयास किया गया है।

पंचम अध्याय में मनरेगा योजना का मजदूरी एवं कार्य संबंध पर प्रभाव कैसे पड़ता है इसके अंतर्गत मनरेगा का मजदूरी पर बढ़ता प्रभाव, मजदूरी का भुगतान मनरेगा योजना में किस तरह किया जाता है। और मजदूरी का कार्य से संबंध कैसा होता है निरंतर मजदूरी बढ़ने के कारण समाज का कौन सा वर्ग अनेक परेशानियों से गुजर रहा है। इन सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून की एक विशेष खासियत यह है कि यह सामाजिक लेखापरीक्षण को केंद्रीय भूमिका प्रदान करता है। इसका मूल मकसद परियोजनाओं, कानून एवं नीतियों पर अमल में सार्वजनिक जबाबदेही सुनिश्चित करना है। पिछले दो सालों के अनुभव तथा अमल के दौरान मिली सीख के बल पर नरेगा को ज्यादा प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाएगा। यह कार्यक्रम लाभार्थियों कि आमदनी में बढ़ोतरी करेगा, स्थायी परिसंपत्तियाँ निर्मित करेगा तथा ग्रामीण भारत के लिए दीर्घकालीन ठोस लाभ अर्जित करेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (नरेगा), 2005 को लागू हुए दस वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। जब से यह अधिनियम लागू हुआ है, देश के निर्धनतम जिलों में लाखों लोगों के जीवन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। निर्धारित न्यूनतम वेतन पर 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी देने वाला यह कानून, पहला ऐसा कानून है जो दरिद्र ग्रामीण परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार को विवश करता है। अब यह योजना समूचे देश में चलाई जा रही है।

मनरेगा पर अमल के दस वर्ष पूरे होना इस कार्यक्रम का औचित्य साबित करता है। इससे यह बात भी साफ है कि रोज़गार की प्रकृति मौसमी है और इसके तहत होने वाले काम, स्थानीय खेती के तरीके तथा रोज़गार के वैकल्पिक स्वरूपों के अनुसार अलग-अलग किस्म के हैं। इस लिए सारे जॉब कार्डधारी परिवारों के लिए पूरे 100 दिन के काम की मांग करना जरूरी नहीं है।

इस तरह मनरेगा के तहत श्रमबल में जिलावार और राज्यवार पर्याप्त अंतर पाया जाता है। सारे जिलों में एक ही तरह की श्रमिक मांग और मांग का स्तर नहीं होता। कार्य योजना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं। ये उपाय इस कार्यक्रम के प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए किए गए हैं। ग्रामीण श्रमिकों के बीच कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा तथा संचार का

ज्यादा महत्व है, क्योंकि ऐसा होने पर ही श्रमिकों द्वारा अधिक से अधिक काम की मांग होगी। इस दिशा में विविध पहले की गई हैं।

मनरेगा योजना के आने से ग्रामीण कमजोर लोंगो को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनकी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रख कर गरीबी दूर करने और आजीविका संबंधी विभिन्न पहलों को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। मनरेगा योजना के माध्यम से सभी अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को साल में कम से कम 100 दिनों का रोज़गार प्रदान किया जाता है। मनरेगा योजना के आने से श्रमिकों में एक प्रकार का उत्साह और उमंग देखने को मिलती है। क्योंकि रोज़गार की तलास में उन्हें अब भटकना नहीं पड़ता है और रोज़गार उन्हें अपने गाँव में ही प्राप्त हो जाता है। जिससे ये अकुशल श्रमिक अपने घर परिवार के साथ रहते है। मनरेगा योजना में मजदूरी को लेकर कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि इसमें सभी को एक समान मजदूरी दी जाती है। साथ ही साथ काम के लिए श्रमिकों को बहुत मामूली सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जहां पहले श्रमिकों को काम के सिलशिले में दूर-दूर तक जाना पड़ता था, अब उन्हें अपने गाँव में ही मांग करने का अधिकार प्राप्त है। और अगर उन्हें काम नहीं मिलता है आवेदन के 15 दिनों के भीतर तो उन्हें बेरोजगारी भत्ते के रूप में भुगतान मिलता है।

मनरेगा योजना में महिलाओं की भागदारी लगभग एक तिहाई है इसका सबसे बड़ा कारण है समान मजदूरी का प्राप्त होना। मनरेगा योजना में महिला हो या पुरुष दोनों को समान मजदूरी देने का प्रावधान है, इसीकारण इस योजना में महिलाओं ने भी चढ़-बढ़ कर हिस्सा लिया और मनरेगा योजना को सफल बनाने में अहम योग्यदान रहा है।

मनरेगा योजना की एक प्रमुख खास बात यह भी थी कि इस योजना में पैसे के व्यय को 60:40 के अनुपात में रखा गया जिसका अर्थ है की 60 प्रतिशत पैसा मजदूरी के रूप में प्रदान किया जाएगा, और 40 प्रतिशत समान और मशीनकृत निर्मित वस्तुओं पर खर्च किया जाएगा। इसीकारण यह योजना बाकी योजनाओं से अधिक पसंद की गई। मनरेगा योजना के माध्यम से होने वाले कार्यों की सूची ग्रामसभा द्वारा तय की जाती है, और अधिक से अधिक कामों का जिम्मा ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा।

यह एक ऐसी योजना थी जिसका लक्ष्य गाँव को समृद्ध बनाना और गाँव में रहने वाले मजदूरों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम थी। मनरेगा योजना के माध्यम से अनेक कार्यों को शामिल किया गया जैसे तालाबों की खुदाई, बाढ़ नियंत्रण के प्रयास, जल सुरक्षा, सड़कों का निर्माण, मेदबंदी, नालियों का निर्माण, गाँव की साफ सफाई, तालाबों का सुंदरी करण आदि कार्यों के माध्यम से दोनों प्रकार के हित सध जाते है एक तो गाँव के श्रमिकों को रोज़गार प्राप्त हो जाता है और दूसरा गाँव का समुचित विकास भी हो जाता है।

मनरेगा योजना में पिछले कुछ वर्षों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है, इसका प्रमुंख कारण भ्रष्टाचार है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों अत्याधिक खबरें सुनने को मिली है, कहीं पर छोटे रूप में भ्रष्टाचार तो कहीं बड़े रूप में भ्रष्टाचार की खबरें मिलती रही हैं। भ्रष्टाचार होने से अनेकों ऐसे गाँव और सैकड़ों मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल सकी है जिस कारण लोगों में एक प्रकार के डर का मौहोल उत्पन्न हो गया है। और वो इस योजना में कार्य करने से कतराते नजर आते है। मनरेगा योजना में पिछले कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त ग्रामप्रधान हो या सेक्रेटरी या उनके गुरगे जो इन कार्यों को कराने में आगे रहते है सभी को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है। इन समस्यों को दूर करने के लिए सरकार को योजना में कुछ नई चीजें जोड़ना चाहिए जैसे कि अगर चोरी करते पकड़े जाए तो उन्हें दंड के तौर पे जुर्माना या सजा भी दी जाए, साथ ही साथ नियम और सक्त हो जिससे भ्रष्टाचार करने वालों के भीतर एक प्रकार का डर हो, तभी यह योजना अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ पाएगी।

मनरेगा योजना में सीधे तौर पर कोई कार्य नहीं होता है यह पूरी तरह एक चेन में बंधे होते है, जिसमे सभी लोग अलग-अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। मनरेगा योजना को मुख्यतः पाँच स्तरों पर बांटा गया है, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर, जिनमे सभी की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ शामिल है। ग्राम स्तर की ज़िम्मेदारी होती है कि मजदूरी मांगने वाले श्रमिकों को काम कैसे उपलब्ध हो इसका निर्धारण करने के साथ–साथ उनके जॉबकार्ड प्राप्त करवाए, कार्य की अवधि और समय का भी ध्यान रखा जाए, श्रमिकों के आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोज़गार उपलब्ध कराए, कार्य स्थल पर पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा आदि सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाए, साथ ही श्रमिकों को रोज़गार उनके निवास स्थान से 5 किमी कि दूरी में हो, ऐसी और भी छोटी-छोटी चीजें है

जिनका ध्यान ग्राम स्तर पर देना चाहिए या ये ग्राम स्तर के मुख्य ध्येय है। जिन्हें ग्राम स्तर पर अच्छी तरह से निभाया भी जा रहा है।

ब्लॉक स्तर की जिम्मेदारियाँ ग्राम स्तर की जिम्मेदारियों में बहुत मामूली सा फर्क होता है। जो काम ग्राम स्तर पर होते हैं, उनकी समीक्षा करना, किए जाने वाले कार्यों की निगरानी करना, श्रमिकों को शीघ्र रोज़गार मिल रहा है की नहीं साथ ही मजदूरी का भुगतान समय पर हो रहा है कि नहीं, बेरोजगारी के भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करना, संसाधनों का सही लेखा–जोखा रखना, शिकायतों का निवारण करना, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, नए खाते खोलने तथा श्रमिकों को समय पर भुगतान करने के लिए बैंकों से संपर्क बनाए रखना, आदि कार्यों का दायित्व ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। इसी कारण ग्राम स्तर और ब्लॉक स्तर में होने वाले कार्य एक दूसरे के साथ जुड़ाव बना रहता है। और कार्यों को सम्पन्न करने में भी आसानी होती है साथ ही मनरेगा योजना में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा भी हो जाती है।

ग्राम स्तर और ब्लॉक स्तर पर कराये गए कार्यों को जिला स्तर से मंजूरी प्राप्त होती है। जिला स्तर के मुख्य कार्य होते है निधियों को मजूरी देना और उपयोग को सुनिश्चित करना, परियोजनाओं को सही समय पर मंजूरी देना, मनरेगा कार्यों से संबन्धित समीक्षा,निगरानी और पर्यवेक्षण करना, मास्टर रोलों का सत्यापन करना, मनरेगा के लिए शिक्षा और संचार अभियान चलाना, शिकायतों के निवारण, कार्य का आवंटन, कार्य के लिए आवेदन दर्ज करने, आदि सभी जिम्मेदारियाँ जिला स्तर के अंतर्गत आती है। यह कार्य इसी लिए अलग-अलग स्तर पर बांटे गए ताकि अगर किसी एक स्तर पर कार्य सही रूपों में न हो रहे हो तो उनकी जानकारी भी प्राप्त हो सके, और एक-दूसरे स्तर पर दबाव की स्थिति भी बनी रहें। जब दबाव की स्थिति होती है तो सभी काम सही दिशा में होते हैं। इसी कारण मनरेगा योजना को अलग-अलग स्तरों में विभाजित किया गया है।

राज्य स्तर के दायित्व अत्याधिक महत्वपूर्ण होते है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई गलती की जाती है तो बाकी नीचे के तीनों स्तरों पर इसका प्रभाव अत्याधिक दिखाई देता है। जिस प्रकार अभी तक तीनों स्तरों के अलग-अलग दायित्व थे उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी कुछ प्रमुंख दायित्व होते हैं जैसे- योजना

के कार्यान्वयन के संबंध में सलाह देना, निगरानी, और शिकायतों की समीक्षा के साथ-साथ बेहतरी का सुझाव भी सुझाना, योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करना, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, जिम्मेदारियों से संबन्धित नियम बनाना, रोज़गार निधि की स्थापना करना, सभी स्तरों पर योजनाओं की जबाबदेही, मनरेगा के बारे में जागरूकता फैलाना, आदि कार्य राज्य स्तर पर किए जाते हैं।

मनरेगा योजना में केंद्र सरकार का अहम योगदान है, क्योंकि योजना को कैसे बेहतर बनाया जाए इसका निर्धारण केंद्र सरकार के जिम्मे होता है। साथ ही योजना को कितना बजट मिलेगा यह भी केंद्र सरकार तय करती है।

रायबरेली जिले में मनरेगा योजना की शुरुआत फरवरी 2006 में हुई थी। यह एक ऐसी योजना थी जिसमें ग्रामीण अकुशल लोगों को अपने गाँव या गाँव के नजदीक में ही रोज़गार मिलने के अवसर प्रदान किए। जिसका परिणाम इस प्रकार मिला की 2006-07 के बाद जिले के लोगों के पलायन में निरंतर कमी हुई है, महात्मा गांधी नरेगा का आर्थिक प्रगति और अन्य कारणों से होने वाले पलायन की तुलना में दुखी होकर पलायन करने में कमी पर अधिक सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मेरे द्वारा किया गया यह अध्ययन दर्शाता है कि महात्मा गांधी नरेगा ने घर के पास काम और सम्मानित काम की स्थितियाँ प्रदान कर पलायन में कमी की है। रायबरेली जिले के अध्ययन में यह पाया गया की इस योजना ने काम की उपलब्धता द्वारा पलायन स्तर में 30 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की कमी ला दी है।

महात्मा गांधी नरेगा का प्रभाव रोज़गार के लिए पलायन करने वालों पर अधिक हुआ है; राष्ट्रीय जनगणना 2001 के आकड़ों के अनुसार लगभग 15 प्रतिशत परिवार रोज़गार के लिए पलायन करते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2009 में कहा गया है कि पलायन में कमी जोकि महात्मा गांधी नरेगा के कारण हो रही है, के परिणाम स्वरूप आंतरिक गति शीलता में बाधा उत्पन्न हो रही है। और इस कारण इन परिवारों की आर्थिक प्रगति सीमित हो रही है। महात्मा गांधी नरेगा शहरों में कुशल श्रमिकों की मजदूरी की बराबरी नहीं कर पाता।

रायबरेली जिले में मनरेगा योजना के माध्यम से पलायन में कमी तो आयी है लेकिन वर्तमान समय में कई ब्लॉकों में देखा गया है कि सरकार की ओर से प्राप्त पैसे विकास कार्यों में नहीं लगाए जाते हैं।

वर्तमान में कई ब्लॉक ऐसे है जिनके पास सरकारी पैसा मौजूद होने के बावजूद खर्च नहीं किए गए हैं, जिसके कारण लोगों को रोज़गार की समस्या से भी जूझना पड़ा है। सलोन ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में 65 लाख रूपये से अधिक उपलब्ध होने के बावजूद केवल 14 लाख रूपये ही खर्च किए गए हैं, खीरों ब्लॉक में 36 लाख में केवल 2 लाख ही, रोहनियाँ ब्लॉक में दो महीने से श्रमिकों को काम नहीं मिला है, इसके साथ-साथ जगतपुर, ऊंचाहार, डलमऊ और गौरा सहित कई ब्लॉकों में श्रमिकों को काम करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिली है।

मनरेगा योजना में कार्य करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की कोई परवाह नहीं की जाती है अगर कोई श्रमिक कार्य करते वक्त बीमार हो जाए तो उसके लिए न तो किसी प्रकार की दवाइयाँ ही उपलब्ध होती हैं, न तो श्रमिकों को अस्पताल पहुंचाने की कोई सुविधा है। यहाँ तक की प्राथमिक उपचार का भी कोई प्रबंध है। श्रमिकों के बीमार होने पे ग्राम प्रधान या कार्य स्थल पर मौजूद मेट गाँव में जो दुकानें होती हैं उन्हीं से एक दो दवाइयाँ मँगवा दी जाती हैं, ये दवाइयाँ श्रमिक को नुकसान भी कर जाती है। मनरेगा योजना में महिलाएं भी काम करने जाती हैं उनके छोटे-छोटे बच्चे भी होते है जिनके लिए पालने का प्रबंध भी नहीं किया जाता है जब की सरकारी मानकों के अनुसार कार्य के स्थान पर प्राथमिक उपचार और श्रमिक महिलाओं के बच्चों के लिए पालने की वयवस्था होनी चाहिए।

मैंने अपने शोध कार्य को पूरा करने के लिए जब डीसी मनरेगा ऑफिस से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अर्जित की तो बड़े आश्चर्य जनक आकडे देखने को मिले जैसे की अब तक रायबरेली जिले में कितने लोगों को मनरेगा योजना के माध्यम से रोज़गार प्राप्त हुआ है तो इसके जबाब में मुझे 14,45,974 लोगों का आकडा प्राप्त हुआ साथ ही साथ जब मैंने इन आकड़ों की जांच और साल दर साल इनका अध्ययन किया तो मिला की शुरू के दो वर्षों में जिस प्रकार लोगों को रोज़गार मिला, फिर आगे के कई वर्षों तक नहीं मिला या कहा जाए की 2011-12 को छोड़ कर बाकी सभी वर्षों में यह स्तर कम ही देखने को मिला है। और जब मैंने इसका कारण पता किया तो जो सामने आया वह हैरान करने वाला है क्योंकि लोगों ने बताया की उन्हें मजदूरी नहीं दे जाती है। उनके जॉबकार्ड से ग्राम प्रधान पैसे दबाव देके निकाल लेते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कार्य स्थल पर सुविधा नहीं दी जाती है। काम को लेकर उन्हें बहुत परेशान

किया जाता है, अगर वह ग्राम प्रधान की बात नहीं मानते हैं, तो प्रधान उन्हें रोज़गार से वंचित कर देते हैं। ऐसी ही कई और समस्या सामने आयी है।

2009-10 से लेकर 2015-16 तक के वित्तीय आकड़ों से यह पता चलता है कि इस मनरेगा योजना के माध्यम से रायबरेली जिले के सभी ब्लॉकों में सैकड़ों कार्यों का शुभारंभ प्रतिवर्ष हुआ और लगभग कार्यों को ख़त्म करने का प्रयास भी किया गया, आकड़ों को देखे तो पता चलता है की कुछ कार्यों को छोड़ बाकी सभी को सफलता पूर्वक समाप्त किया गया है। हालांकि जहा इतने कार्यों का काम तेजी से चल रहा था, वही मनरेगा योजना से जुड़ी हजारों शिकायतें भी दर्ज की गई, कुछ शिकायतों को छोड़ बाकी सभी का निराकरण भी किया गया है 2009-16 तक के कार्यों का विवरण और शिकायतों की सूची मैंने चतुर्थ अध्याय में विस्तार पूर्वक दिया है।

मनरेगा योजना ने श्रम के रूप को भी अत्याधिक प्रभावित किया है। आज के श्रम के स्तर और पूर्व के समय में किया जाने वाले श्रम में बहुत अंतर है पहले जो श्रम होता था, वह मेहनत में अधिक और काम भी अधिक होता था, लेकिन जब से मनरेगा योजना का आगमन हुआ है। तब से श्रम का स्तर गिर गया है आज श्रमिक भी यही चाहता है की उसको काम ना करना पड़े और मजदूरी भी अधिक से अधिक मिले, और श्रमिकों की इस मानसिकता को मनरेगा योजना ने और अधिक मजबूत कर दिया है। क्योंकि मनरेगा योजना में कार्य करने वाले मजदूर आराम से और बहुत कम कार्य करते है इसी कारण अब मजदूर केवल मनरेगा योजना में ही कार्य करना चाहते है अगर ग्रामीण किसान के यहा जाते है तो वहा पर उन्हें अधिक काम करने का दबाव दिया जाता है। इस कारण अब मजदूर बहुत कम किसानों के यहा काम पर जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है की श्रम के स्तर में मौजूदा समय में बहुत बदल चुका है।

श्रम बजट और श्रम बजट अनुमोदन प्रक्रिया के बारे में अध्याय 4 में विस्तार पूर्वक चर्चा की जा चुकी है, अब मैं श्रम कानून एवं बंधुआ मजदूरी से जुड़े क़ानूनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मेरे शोध के दौरान मुझे मिली है लेकिन जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है इन क़ानूनों की, कि उनके हितों को ध्यान में रख कर कुछ कानून भी बनाए गए है। इस लिए

रोज़गार के साथ-साथ अगर श्रमिकों को प्राप्त उनके क़ानूनों की भी जानकारी दी जाए तो श्रमिकों को अधिक जागरूप बनाया जा सकता है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी 35 रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गई थी। जो फरवरी 2004 में बढ़कर 66 रूपये प्रतिदिन कर दी गई। इसके बाद ठेका मजदूरी में कार्य करने के लिए श्रमिकों को मजबूर किया जाता था जिसके उन्मूलन के लिए फरवरी 1970 में एक कानून बनाया गया,और ठेका मजदूरी पर रोक लगा दी गई। इसी प्रकार राष्ट्रीय बाल श्रमिक नीति गठन किया गया क्योंकि 1970-80 के दशक में इतनी तेजी के साथ छोटे-छोटे बच्चों से काम लिया जाता था साथ ही उनके शिक्षा और स्वास्थ्य का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता था, बच्चों से काम कराने का मुख्य उद्देश्य होता था कि बच्चों को कम मजदूरी देकर भी कार्य हो जाते थे। बच्चों के भविष्य को देखते हुए राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 में लागू की गई जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से आप कही भी काम नहीं ले सकते है वह मनरेगा योजना हो या फिर घरों के काम या औद्योगिक काम हो सभी जगह यह कानून एक समान कार्य करता है। बच्चों के साथ-साथ महिलाओं के हितों को देखते हुए महिला श्रम प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया जिसके तहत महिलाओं को पुरूषों के समान ही वेतन दिया जाएगा और किसी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं किया जाएगा। यह कानून 1976 में बना और महिलाओं के संरक्षणात्मक था शोषण निवारक कानून है।

बंधुआ मजदूरी समाज के लिए एक प्रकार के अभिशाप से कम नहीं है जिसने भी बंधुआ मजदूरी का दर्द सहा है वही इस विषय में सही तरह से बता सकता है, बंधुआ मजदूरी में कई बार तो ऐसा होता था की एक पीढ़ी में समाप्त भी नहीं हो पाती थी और कई पीढ़ियों तक निरंतर चलती रहती थी। बंधुआ मजदूरी नागरिकों के मौलिक मानवाधिकारों का हनन है। क्योंकि इसमे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी में रखा जाता है जिससे उनके जीवन यापन में भी अनेक समस्याएं होती थी, इन सभी चीजों को ध्यान में रख कर 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम बनाया गया। जिससे बंधुआ श्रमिक नीति ही समाप्त कर दी गई, और इसे दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया है। बंधुआ मजदूरी प्रथा जैसी ही तमाम नीतियों को समाप्त करने के लिए मनरेगा जैसी अनेक योजनाएँ चलाई गई ताकि लोगों को जब रोज़गार प्राप्त होगा तो वह बंधुआ मजदूरी की नहीं जाएंगे।

मनरेगा योजना ने श्रम की तरह मजदूरी को भी बहुत प्रभावित किया है आज श्रमिकों को मनरेगा योजना में मजदूरी के रूप में लगभग 165 रूपये प्रतिदिन मिलते है। अगर पिछले 10 वर्ष की बात की जाए तो मजदूरी में लगभग तीन गुना बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण था की सभी व्यक्ति अपना और अपने परिवार का जीवन यापन अच्छे से चला सकें। अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सके। इससे श्रमिकों को तो लाभ हुआ लेकिन समाज का एक वर्ग समस्यों से घिर गया वह है किसान, क्योंकि आज किसान को श्रमिक नहीं मिलते हैं और अगर मिलते भी हैं तो मनरेगा योजना में उन्हें जितनी मजदूरी मिलती है उससे अधिक मजदूरी मांगते साथ ही काम भी वह मनरेगा योजना के अनुसार करते हैं, जिससे किसानों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की समस्याएँ तब और अधिक हो जाती है जब वह इतने महंगे मज़दूरों से काम कराते हैं और उन्हें अपनी फसल की सही कीमत भी नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार हम यही कह सकते हैं कि मनरेगा योजना ने जहा मजदूरों को रोज़गार प्रदान किए तो उनके पलायन में कमी भी देखने को मिली तो साथ-साथ किसानों को समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूर भी कर दिया है।

जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार मनरेगा योजना के भी दो पहलू हैं, एक तरफ तो गरीबों के लिए रोज़गार सृजन कार्यक्रम को मिली ऐतिहासिक सफलता और दूसरी तरफ, योजना के क्रियान्वयन में अनेक कमियाँ और भ्रष्टाचार। मैंने दोनों की निष्पक्ष चर्चा करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के उस दावे का मूल्यांकन किया जाए, जिसमें उन्होने मनरेगा को गरीबों के हक में आजादी के बाद की सबसे सफल योजना बताया है। यह दावा कहा तक सही है? रोज़गार गारंटी योजना के कारण एक-तिहाई गरीबों को अगर लाभ मिला, है तो उम्मीद की जानी चाहिए की आने वाने समय में सौ फीसदी गरीब इसके लाभ के दायरे में आ जाएंगे।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के रचनाकारों ने भी शायद न सोचा होगा कि यह अधिनियम कभी सामाजिक वर्ग क्रांति का सूत्रधार बनेगा। सच यह है कि इस कानून के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव दिखने शुरु हो गये हैं। मनरेगा में बढ़े भ्रष्टाचार ने जहां गाँव के सबसे गरीब को भी बेईमानी सिखाई; वहीं शहरों में बढ़ी मजदूरी और मनरेगा में मिली रोज़गार की गारंटी ने खेतों में मजदूर मिलने की गारंटी छीन ली है। हालांकि, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एक आला अफसर

वी.के. सिन्हा ने 23 सितंबर को इलाहाबाद में दिए अपने एक भाषण में इसे महज एक भ्रामक तथ्य बताया; किंतु बदलता परिदृश्य यही है। खासकर उन इलाकों का, जहां खेती के लिए अभी पानी का कोई संकट नहीं है।

महात्मा गाधी ने कहा था कि संदेह के क्षणों में हमें सबसे गरीब आदमी के चेहरे का ध्यान करना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए की क्या हमारा यह कदम उसके लिए किसी काम का हो सकता है? फरवरी 2006 में शुरू की गई महात्मा गाधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के पीछे यही भावना काम कर रही थी। यह संभवत: विश्व में सबसे बड़ी और सर्वाधिक महत्वाकाक्षी सार्वजनिक परियोजना है। लागू होने के दस साल बाद मनरेगा का महत्व तथा ग्रामीण भारत के करोड़ों घरों के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा आज स्वयं सिद्ध है। इसकी जबरदस्त लोकप्रियता इस बात से जाहिर है कि हर साल औसतन एक-चौथाई परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया है। करीब 80 फीसदी परिवारों को धनराशि सीधे बैंक या डाकखाना खाते के माध्यम से दी गई। गरीबों के वित्तीय समावेश की दिशा में यह अभूतपूर्व कदम है।

रायबरेली जिले में भी बाकी सभी जगहों की तरह मनरेगा योजना का हाल रहा है फिर भी यह कहा जा सकता है कि मनरेगा योजना ने जिले के विकास, के साथ-साथ लोगों के पलायन में कमी लाने में अहम योगदान दिया है। हालांकि जिस लक्ष्य के साथ इसका आगमन जिले में किया गया था उसे अभी तक मनरेगा योजना नहीं पा सकी है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि रायबरेली जिले में अभी तक रोज़गार उपलब्ध कराने वाली जितनी भी योजनाएँ चलाई गई हैं उन सभी योजनाओं में मनरेगा ने सबसे अधिक सफलता प्राप्त की है। इस योजना को अत्याधिक सफल बनाने के लिए इसे और बड़ा रूप देने की निरंतर कोशिशे की जा रही हैं।